ना

म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 88 RTA

मुकदमा नम्बरी वाद 90/18 2018 13LNPD

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
6/6/18	यह प्रा. पत्र वादीगण की ओर से श्री सुभाष मिढा एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 12/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	967
12.06.2018	वादी के अधिवक्ता उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादीया स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करनें पर पाया गया कि वादीया द्वारा जिस खाते की भूमि में अपनें नाम को दुरूस्त करवानें का अनुतोष चाहा गया है वह उस खाते में सहखातेदार है वादीया अपनें वाद पत्र में ना तो सहकाश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है तथा ना ही अपनें परिवार के सदस्य जो सहखातेदार के रूप में दर्ज है उन्हे पक्षकार बनाया गया है वादिया द्वारा अपनें परिवार के सदस्य जो सह खातेदार है, उनके द्वारा अपनें नाम सम्बंधी दुरूस्ती का कोई भी साक्ष्य वाद पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है। इस कारण वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जानें पर वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया। (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	